राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 33/2024

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेंटः –
1. श्रीमती पार्वती देवी उर्फ भूरी पत्नी देवीलाल जाति खारवाल, निवासी पचपदरा, जिला बालोतरा।		1 तहसीलदार पचपदरा

आदेश

दिनांक 11.12.2024

अपीलार्थी श्रीमती पार्वती देवी उर्फ भूरी पत्नी देवीलाल जाति खारवाल, निवासी पचपदरा, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील अप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 12.11.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पचपदरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी स्वयं दौराने सुनवाई अनुपस्थित।

हमने प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना तृतीय पक्षकार के निजी दस्तावेजों से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जे) के तहत सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। इसलिए अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 11.12.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा